

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

.....३६१..... विपक्षी गिरबाजी.....
 मुकद्दमावाह..... पत्रावली संख्या ५१/२३ सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p><u>२१/५/२६</u> फर्दा बंद है। अधिवक्ता पक्षकाराग उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/सोक समा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/अपमग/मीटिंग में प्यारे है। फर्दा बंदी पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>५/५/२६</u> को फर्दा हो। B10 २</p>	
<p><u>५/५/२६</u> पत्रावली पेज हुई। अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गवाह के परिवार में गवाही होने के उपस्थित नहीं होने बताया। अतिरिक्त अधिवक्ता द्वारा फर्दा बंदी अधिवक्ता को आगाह किया जाता है कि आगामी पेज पर आवश्यक कदम ले गवाह पेज करे। पत्रावली वास्तु शास्त्र वादी दिनांक <u>०६/५/२६</u> को पेज हो। hm</p>	<p>गवाह के परिवार में गवाही होने की वजह से साक्ष्य हेतु अवसर उपलब्ध परमावे। Pameesh Singh</p>
<p><u>०९/६/२६</u> पत्रावली पेज हुई। अधिवक्ता वादीगण मध्य स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मध्य स्वयं वादीगण को बार-बार आवाजें दिलवाई गई। समय सांय ६:०० PM हो चुके हैं। स्वयं वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। प्रकरण के अवलोकन से पत्रावली ब्याप्त वादी में निश्चित है। वादीगण को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य पेज नहीं किये जाये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति अनजग नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण मध्य स्वयं वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अहम डायरी अहम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से काम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	



सहायक कलक्टर (SDO) मावली